अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2005

(आय-कर)

सा.का. 929(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्रोत पर कटौती किए गए कर की विवरणियों को कागज प्ररूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम "स्रोत पर कंटौती की गई कर की कागज रूप में विवरणियां फाइल करने के लिए स्कीम, 2005 है"।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

(3) यह ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होगी, जो आयकर अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (2) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न हैं, और जिनसे धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कटौती की गई कर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

2. परिभाषाएं

इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(2) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(3) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड अभिप्रेत है ;

(4) "कटौतीकर्ता" से स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस स्कीम के अधीन स्रोत पर कर कटौती विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पात्र है ;

(5) "ई-फाइलिंग प्रशासक" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती विवरणिणों को इलैक्ट्रोनिक रूप से फाइल करना स्कीम, 2003 के प्रयोजनों के लिए ई-फाइलिंग प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए अभिहित है ;

(6) "नियमों" से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत हैं ;

(7) "स्रोत पर कर कटौती विवरणी" से अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणी अभिप्रेत है ;

19736/05—4

(8) अन्य सभी शब्दों, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

3. स्रोत पर कर कटौती विवरणी तैयार करना और प्रस्तुत करना ।

(1) कटौतीकर्ता स्रोत पर कर कटौती विवरणी तैयार करने के लिए नियमों के अधीन विहित सुसंगत प्ररूपों का उपयोग करेगा ।

(2) कटौतीकर्ता, स्रोत पर कर कटौती विवरणी तैयार करते समय अपना स्थायी खाता संख्यांक और कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्यांक तथा साथ ही ऐसे मामलों को छोड़कर, जिन्हें अधिनियम की धारा 139क की उपधारा (5ख) का दूसरा परंतुक लागू होता है, ऐसे सभी व्यक्तियों के, जिनके संबंध में उसके द्वारा कर कटौती की गई है, स्थायी खाता संख्यांकों को कोट करेगा ।

(3) कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नियमों के अधीन विहित स्रोत पर कर कटौती विवरणी के प्ररूप के सभी स्तंभों को सम्यक् रूप से और ठीक-ठीक भरा गया है ।

(4) स्रोत पर कर कटौती विवरणी अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी ।

4. अभिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ।

(1) अभिकरण, कटौतीकर्ता से स्रोत पर कर कटौती विवरणी प्राप्त करेगा और उसमें कटौतीकर्ता के स्थायी खाता संख्यांक और कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्यांक और स्रोत पर कटौती किए गए कर के बैंक में निक्षेप और उन व्यक्तियों के, जिनसे कटौती की गई है, स्थायी खाता संख्यांकों के ब्यौरों की जांच करेगा ।

(2) उस मामले में, जहां पैरा (1) में निर्दिष्ट सभी ब्यौरों को भरा जाता है, कटौतीकर्ता को एक रसीद जारी की जाएगी ।

(3) स्रोत पर कर कटौती विवरणी प्राप्त करने के पश्चात् अभिकरण उसे अंकीयकृत करेगा ।

(4) अंकीयकरण के पश्चात् स्रोत पर कर कटौती विवरणी को संबंधित निर्धारण अधिकारी को भेजा जाएगा, जो स्रोत पर कटौती किए गए कर को अभिलेख के रूप में रखेगा ।

(5) जहां स्रोत पर कर कटौती विवरणी में उन व्यक्तियों के, जिनसे कटौती की गई है, स्थायी खाता संख्यांकों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं, वहां अभिकरण , कटौतीकर्ता को एक कमी संबंधी ज्ञापन इस अनुरोध के साथ् देगा कि कमियों को उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर दूर किया जाए ।

(6) स्रोत पर कर कटौती विवरणी में कोई कमी न होने के मामले में, अंकीयकृत डाटा को ई-फाइलिंग प्रशासक को संप्रेषित किया जाएगा ।

(7) जहां कटौतीकर्ता कमी संबंधी ज्ञापन में उपदर्शित कमियों को सात दिन के भीतर दूर नहीं करता है, वहां अभिकरण अंकीयकृत डाटा में उस पर पताका लगाकर ई-फाइलिंग प्रशासक को संप्रेषित करेगा ।

[अधिसूचना सं. 179/2005/फा.सं. 142/4/2005-टीपीएल]

डी. पी. सेमवाल, निदेशक (टीपीएल-III)